OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr./Mrs.** ..SONIKA.......... **I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block–Chamba and Thauldhar area measuring **0.552 hect**. for **Construction of** (1) यमुनापुल से खरसोन कयारी, (2) यमुनापुल से मसूरी बैण्ड जीरो पॉइंट, (3) यमुनापुल से सुमनक्यारी, (4) मसूरी–धनौल्टी–चम्बा माग में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु। forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:. New Tehri

Dated:. 24.4.2019

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committe

(SDM. Dhanolti)

Annexure-1

Form-1
For linear projects
Government of india
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. Dated 24/4/2019

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialect and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relanation in respect of linear projects it is certified that **0.552 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Reliance Jeo Infocomm Ltd. 3rd floor, Maker Chamber IV, 222, Nariman Point Mumbai** for (1) यमुनापुल से खरसोन कयारी, (2) यमुनापुल से मसूरी बैण्ड जीरो पॉइंट, (3) यमुनापुल से सुमनक्यारी, (4) मसूरी–धनौल्टी–चम्बा मार्ग भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु। (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails within jurisdiction of Tehri and Dhanolti, Tehsil.

It is further certified that

(j) The complete process for idenfification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.552 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to .... annexure........................,

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed ~~and the Gram sabha have given their consent to it~~,

(l) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

प्रतिहस्ताक्षरित Signature

(...........................)

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल District collector, Tehri Garhwal

(SDM. Dhanolti)

जनपद-- टिहरी

पत्रांक /

दिनांक -- 24/4/2019

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 24/4/2019 को जिलाधिकारी, टिहरी की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद टिहरी के विकास खण्ड मसूरी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable परियोजना का नामः–** जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग कैम्पटी--भद्रीगाड़ एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत

(1)एन0एच0 507 यमुना पुल–खरसोन क्यारी माईलस्टोन--44 से माईलस्टोन–54, 10 कि0मी0.

(2)यमुना पुल–मसूरी बैण्ड़ जीरो प्वाइंट 21 कि0मी0.

(3)यमुना पुल–सुमन क्यारी 11.2 कि0मी0.

(4)एस0एच0 08 मसूरी–चम्बा मार्ग मसूरी–धनौल्टी 34 कि0मी0.

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 कि0मी0. और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 है0 के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने

को प्रत्यावर्तित/लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ~~ग्राम सभा / ग्राम पंचायत एवं~~ उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी टिहरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.552 है0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रीवर रेंज के अर्न्तगत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, ...टिहरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल)

प0सं0../.............................../दिनांक

प्रतिलिपि – ....को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

(SDM Dhanolti)

जिलाधिकारी
टिहरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 ...

उपखण्ड स्तरीय समिति, टिहरी

उत्तराखण्ड जनपद टिहरी के वन प्रभाग मसूरी के विकास खण्ड मसूरी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable:-** जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग कैम्पटी–भद्रीगाड़ एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत

(1)एन0एच0 507 यमुना पुल–खरसोन क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 कि0मी0

(2)यमुना पुल–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाइंट 21 कि0मी0,

(3)यमुना पुल–सुमन क्यारी 11.2 कि0मी0

(4)एस0एच0 08 मसूरी–चम्बा मार्ग मसूरी–धनौल्टी 34 कि0मी0.

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 कि0मी0, और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 है0 के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील –) की दिनांक 18/4/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)........................ [signature] उप जिलाधिकारी धनौल्टी टिहरी गढ़वाल
2. श्री एन. के. शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)........................ उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग
3. श्री आशीष कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य)........................ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ASWO [illegible] जौनपुर
4. श्री तपेन्द्र बेलवाल बी0डी0सी0 क्षेत्र (सदस्य) धनौल्टी (डांडा की बेली) .... गढ़वाल
5. सिंग रूपसिंह नेगी प्र0 दि0 धनौल्टी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग कैम्पटी–भद्रीगाड़ एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 507 यमुना पुल–खरसोन क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 कि0मी0, यमुना पुल–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाइंट 21 कि0मी0, यमुना पुल–सुमन क्यारी 11.2 कि0मी0, एस0एच0 08 मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनौल्टी 34 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 76.2 कि0मी0, और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 प्रथम तल रिलाइंस मार्केट, सेवलाखुर्द देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

SDM.

[signature] 18/4/19
उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी धनौल्टी टिहरी गढ़वाल

तहसील............ / जनपद-- ....

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[signature] 18/4/19
उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी धनौल्टी टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम...धनोल्टी...

तहसील...धनोल्टी...जिला...टिहरी गढ़वाल

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद...टिहरी गढ़वाल...के अन्तर्गत...जीओ (ऑप्टिकल फाइबर लाईन)... परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 हे0 नाप भूमि हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि...0.190...हैक्टेयर, सिविल सोयल भूमि...0.110...हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि...शून्य... हैक्टेयर) अर्थात कुल...0.350...हैक्टेयर वन भूमि का...जीओ रिलाइंस इन्फोकॉम...विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...धनोल्टी...द्वारा दिनांक...7/1/2019...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायल की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...धनोल्टी...के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि...0.350 हे0...प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत धनोल्टी
ह0 सुमित्रा
दि0 7/1/19
वि0ख0–जौनपुर टिहरी गढ़वाल

ह0
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी—भद्रीगाड एवं मसूरी—जौनपुर रेंज के अन्तर्गत—

1— एन0एच0—507 — यमुना पुल—खरसोन कयारी माईलस्टोन—44 से माईलस्टोन—54, 10 किमी0
2— यमुना पुल—मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3— यमुना पुल—सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4— एस0एच0—08— मसूरी—चम्बा मार्ग, मसूरी—धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम...सिया कैम्पटी...
तहसील...धनोल्टी...... जिला...टिहरी...

—:: अनापत्ति प्रमाण—पत्र ::—

उत्तराखण्ड में जनपद...टिहरी...... के अन्तर्गत...रिलाइंस जियो...... परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 हैक्टेयर TPU) हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि...0.19...... हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि...0.11...हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि...0...... हैक्टेयर) अर्थात कुल...0.350...... हैक्टेयर वन भूमि का...रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि.... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...सिया कैम्पटी... द्वारा दिनांक.................... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.................................... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 [signature]
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत सिया कैम्पटी जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सैंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खरसोन
तहसील धनोल्टी जिला टिहरी गढ़वाल

–: अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि. परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 नाप भूमि हैकटेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि शून्य हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खरसोन द्वारा दिनांक.................. को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.... .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.................. प्रयोक्ता एजेन्सी को **परियोजना के निर्माण हेतु** दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत खरसोन
ह0 कान्ती देवी
दि0
वि0ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भटोली
तहसील धनोल्टी जिला टिहरी गढ़वाल

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0. परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 नाप भूमि हैकटेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि शून्य हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटोली द्वारा दिनांक........................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायल की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बनध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम............................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि...............................प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत भटोली
ह0 बचनदास
दि0........................
वि0ख0–जौनपुर टि0ग0

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल **बिछाने** हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम...टटोर...
तहसील...[illegible]...जिला...टिहरी गढ़वाल

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद...टिहरी गढ़वाल...के अन्तर्गत...रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0...परियोजना के निर्माण हेतु (...[illegible]...हैकटेयर आरक्षित वन भूमि...0.19...हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि...0.11...हैक्टेयर, वन पंायत भूमि...[illegible]... हैक्टेयर) अर्थात कुल...0.350...हैक्टेयर वन भूमि का...[illegible]...विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...टटोर...द्वारा दिनांक...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायल की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बनध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.......प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत टटोर
ह0
दि0
वि0ख0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित